रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245245
CG-DL-E-18042023-245245

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945
No. 100] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2023

सं. 7/2023

विषयः अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक समाधान हेतु एमनेस्टी स्कीम के संबंध में।

फा. सं. 18/15/एएम–23/पी–5.–समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा एमनेस्टी स्कीम को अधिसूचित करने वाली, सार्वजनिक सूचना सं. 02/2023 दिनांक 01.04.2023 के पैरा II (ii) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

II) ii. उपरोक्त पैरा (I) में उल्लिखित प्राधिकार पत्रों के निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने में चूक के सभी लंबित मामलों को प्राधिकार पत्र धारक द्वारा उन सभी सीमाशुल्कों, जिन्हें अपूर्ण निर्यात दायित्व के अनुपात में छूट दी गई थी, के भुगतान पर विनियमित किया जा सकता है और **ऐसे छूट प्राप्त शुल्कों जिस पर ब्याज देय है के अधिकतम 100 प्रतिशत की देय ब्याज सीमा निर्धारित की गई है।** तथापि अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सार्वजनिक सूचना सं. 02/2023 दिनांक 01.04.2023 को शुल्कों, जिस पर ब्याज देय है, को स्पष्ट करने हेतु संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th April, 2023

No: 7 /2023

Subject: Amnesty scheme for one time settlement of default in export obligation by Advance and EPCG authorization holders – Amendment reg.

F. No. 18/15/AM-23/P-5.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the **para II(ii) of** Public Notice No. 2/2023 dated 01.04.2023 notifying the Amnesty Scheme :-

> **II) ii.** All pending cases of the default in meeting Export Obligation (EO) of authorizations mentioned in para (I) above can be regularised by the authorisation holder on payment of all customs duties that were exempted in proportion to unfulfilled Export Obligation and **interest payable is capped at maximum of 100% of such duties exempted on which interest is payable**. However, no interest is payable on the portion of Additional Customs Duty and Special Additional Customs Duty.

Effect of this Public Notice: Public Notice No. 2/2023 dated 01.04.2023 is amended to clarify the duties on which interest is payable.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Additional Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA